



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / परामर्श कार्य / 2026 नीति परिपत्र सं. 10.2.50 / 2026 दिनांक 10th जून, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. NHA/HO/Empanelment/AE_IE_DPR/2024 (कम्प्युटर सं. 238843 पर लिया गया निर्णय)}

NHA/ Policy Guidelines/ Consultancy/2026

Policy Circular No. 10.2.50 /2026 dated 10th June, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. NHA/HO/Empanelment/AE_IE_DPR/2024 (Comp No. 238843)}

विषय: पर्यवेक्षण परामर्श कार्यों (एई/आईई) के लिए स्किल ब्रिज पोर्टल पर सूचीबद्ध प्रमुख कर्मियों (केपी) के अनिवार्य उपयोग में एक बार की छूट - नीति परिपत्र संख्या 10.2.49/2026 दिनांक 10th मार्च, 2026 में संशोधन - संदर्भ

Sub: One Time relaxation in Mandatory Use of Skill Bridge Portal empanelled Key Personnel (KPs) for Supervision Consultancy Assignments (i.e. AEs/IEs) - Amendment to Policy Circular No. 10.2.49/2026 dated 10th March, 2026 - reg:

स्किल ब्रिज पोर्टल पर सूचीबद्ध प्रमुख कर्मियों (केपी) की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, नीति परिपत्र संख्या 10.2.49/2026 दिनांक 10 मार्च, 2026 के अनुच्छेद 2.2 की प्रयोज्यता को 30.09.2026 तक शिथिल किया जाता है और चयनित बोलीदाता के केपी के साक्षात्कार उपरोक्त नीति परिपत्र के अनुच्छेद 2.3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किए जाते रहेंगे।


In view of limited availability of empanelled Key Personnel (KPs) on Skill Bridge Portal, applicability of Para 2.2 of Policy Circular No. 10.2.49/2026 dated 10th March, 2026 is relaxed till 30.09.2026 and the interviews of the KPs of selected Bidder shall continue to be conducted as per procedure described in Para 2.3 of the above cited Policy Circular.

2. यह ध्यान देने योग्य है कि यह छूट केवल एक बार के लिए है और सभी पर्यवेक्षण परामर्श फर्मों को अपने मुख्य प्रशिक्षकों को स्किल ब्रिज पोर्टल पर प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

It is to be noted that this is a one-time relaxation only and all Supervision Consultancy Firms may be encouraged to get their KPs empanelled on Skill Bridge Portal on priority.

Contd....2/-

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.



(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.